न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी	:	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.,
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	:	305 / 2022
सी.आई.एस. संख्या	:	305 / 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	137 / 2022 (पुलिस थाना डेगाना)
CNR No.	:	RJMR15-000636-2022

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, डेगाना।

— अभियोजन

बनाम

1. रामकरण पुत्र किशना राम, उम्र 46 वर्ष, निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज.,
2. सुरेश पुत्र किशना राम, उम्र 35 वर्ष, निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज.,
3. मैना उर्फ भंवरी देवी पत्नी रामकरण, उम्र 40 वर्ष, निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज.,
4. ग्यारसी उर्फ इग्यारसी पुत्री रामकरण पत्नी कैलाश, उम्र 28 वर्ष, निवासी सिड़ियास, पुलिस थाना पीलवा, हाल पीहर निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज.।

— अभियुक्तगण

अंतर्गत धारा 341, 323, 342, 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :—

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य अनुपस्थित।
2. श्रीमती हर्षा चौधरी, विदुषी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

:: निर्णय :: **दिनांक : 07.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.05.2022 को परिवादी मनोहर द्वारा पुलिस अधीक्षक, नागौर के समक्ष पेश परिवाद धारा 154(3) सीआरपीसी के तहत जरिये सीसीटीएनएस शिकायत थाना पर

वास्ते कायमी प्रकरण हेतु इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 15.05.2022 रविवार को मैं मेरे घर पर था। मेरी पुत्रवधु इग्यारसी पत्नी कैलाश जो अपनी मनमर्जी अनुसार घर से भाग जाती है, जिसके संबंध में उसके पिता रामकरण को मैंने समाचार किये, जिस पर रामकरण व उसके रिश्तेदारों ने कहा कि डेगाना कोर्ट में इग्यारसी व उसके पति कैलाश को व उसकी सास राजुडी को भेज दो, वहां लिखापढी करवा लेंगे, जिस पर मैंने, मेरी पत्नी राजुडी, मेरे पुत्र कैलाश के साथ मेरी पुत्रवधु इग्यारसी को डेगाना कोर्ट भेजा तथा डेगाना कोर्ट में इग्यारसी को उसके पिता रामकरण को सुपुर्द किया। लिखापढी का कहने पर रामकरण व उसके साथ वालों ने कहा कि हमारे पास तीन गाड़ियां हैं, आप गाड़ी में बैठो, जिस पर मेरी पत्नी राजुडी, मेरा पुत्र कैलाश उनकी गाड़ी में बैठ गये, जिन्हें डेगाना से आगे सांजू व सांजू से आगे कालवास व फिर आगे खाटू की कांकड में एक खेत में कुआं था, वहां ले गये। वहां ले जाकर रामकरण, उसके साथ सुरेश, कैलाश, रतनाराम, किशनाराम जावला, रिछपाल, छोटू, निवासी नुन्द इन सभी ने मेरे पुत्र कैलाश व मेरी मेरी पत्नी राजुडी के लाठी, बंदूक के कुन्दे व थापों, मुक्कों, लातों से संगीन मारपीट की। मेरे पुत्र कैलाश के सिर में 100 जूते इन सभी मुलजिमान ने मारे व सभी मुलजिमान ने मिलकर मेरे पुत्र कैलाश के गले में जूतों की माला पहना दी, जिसका वीडियो भी इन्होंने बनाकर वाटसऐप किया। वक्त घटना मेरे जंवाई कानाराम व मेरी पुत्री विमला ने बड़ी मुश्किल से हाथा–जोड़ी करके मुलजिमान को समझाईश कर उनके पैरों में पड़कर मेरी पत्नी राजुडी व मेरे पुत्र कैलाश को छुड़ाया। फिर मुलजिमान अपने साथ लाये गाड़ियों में बैठकर वहां से भाग गये। उक्त घटना की रिपोर्ट मेरी पुत्री व जंवाई कानाराम ने थाने में की, मगर न तो मुकदमा दर्ज किया व न ही मेरे पुत्र व पत्नी का डॉक्टरी मुआयना करवाया न मुलजिमान की गिरफ्तारी की।

2. उक्त परिवाद अंतर्गत धारा 154(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत तफ्तीश हेतु संबंधित पुलिस थाना डेगाना पर भेजे जाने पर प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या 137 / 2022, अंतर्गत धारा 365, 341, 323, 143 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 342, 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. प्रकरण में बहस चार्ज सुनी जाकर समस्त अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 342, 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. हस्तगत प्रकरण में दिनांक 12.09.2025 को अभियुक्तगण तथा परिवादी मनोहर व आहतगण कैलाश व राजुड़ी के मध्य धारा 341, 323, 342 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा होने से पक्षकारान द्वारा उक्त धाराओं में राजीनामे की अनुमति का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किया गया व राजीनामा पृथक् से तस्दीक किया गया व समस्त अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 342 सपठित धारा 34 में दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप भी है, जिसकी हद तक प्रकरण में विचारण शेष रहा है।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप निम्नलिखित गवाह परीक्षित करवाए गए हैं :—

अभियोजन गवाह सं.	**गवाह का नाम**	**विवरण**
पीडब्ल्यू 1	मनोहर	स्वयं परिवादी / शिकायतकर्ता / पक्षद्रोही गवाह, तहरीरी रिपोर्ट, स्वयं के पुलिस बयान व नक्शा मौका घटनास्थल,
पीडब्ल्यू 2	कैलाश	स्वयं आहत / चक्षुदर्शी गवाह / पक्षद्रोही गवाह, स्वयं के पुलिस बयान, नक्शा मौका घटनास्थल व स्वयं का चोट प्रतिवेदन

पीडब्ल्यू 3	राजुड़ी	स्वयं आहता / चक्षुदर्शी गवाह / पक्षद्रोही गवाह, स्वयं के पुलिस बयान व स्वयं का चोट प्रतिवेदन
पीडब्ल्यू 4	विमला	पक्षद्रोही गवाह, स्वयं के पुलिस बयान
पीडब्ल्यू 5	श्रवण	नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह
पीडब्ल्यू 6	नाथूराम	अनुसंधान अधिकारी, समस्त गवाहान के पुलिस बयान, नक्शा मौका घटनास्थल, आहतगण कैलाश व राजुड़ी के चोट प्रतिवेदन, चैक लिस्ट मुलजिमान रामकरण, सुरेश, ग्यारसी व मैना उर्फ भंवरी तथा फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान रामकरण, सुरेश, ग्यारसी व मैना उर्फ भंवरी, मुलजिमान का सजायाबी रिकॉर्ड

6. अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए :—

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण**	**गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया**
प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 1
प्रदर्श पी 2	परिवादी मनोहर के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका घटनास्थल	पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 4	आहत कैलाश के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 5	आहत कैलाश का चोट प्रतिवेदन	पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 6	आहता राजुड़ी के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 7	आहता राजुड़ी का चोट प्रतिवेदन	पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 8	गवाह विमला के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 4, पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 9	गवाह कानाराम के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 10	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रामकरण	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 11	चैक लिस्ट मुलजिम रामकरण	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 12	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सुरेश	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 13	चैक लिस्ट मुलजिम सुरेश	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 14	फर्द गिरफ्तारी मुलजिमा ग्यारसी	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 15	चैक लिस्ट मुलजिमा ग्यारसी	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 16	फर्द गिरफ्तारी मुलजिमा मैना उर्फ भंवरी	पीडब्ल्यू 6

प्रदर्श पी 17	चैक लिस्ट मुलजिमा मैना उर्फ भंवरी	पीडब्ल्यू 6
प्रदर्श पी 18	मुलजिमान का आपराधिक रिकॉर्ड	पीडब्ल्यू 6

7. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं के विरूद्ध दिए गए बयानों को गलत होने तथा फंसाए जाने के लिए दिया जाना बताते हुए कथन किया कि *निर्दोष हूं*। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा गया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया।

8. बहस अंतिम सुनी गई। अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित होने से अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

9. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्कपूर्ण निवेदन किया कि गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। परिवादी व आहतगण पक्षद्रोही रहे हैं। प्रकरण में आहतगण ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। अभियुक्तगण का तथाकथित अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से उन्हें आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराणार्थ बिन्दु निम्न प्रकार से हैं :—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.05.2022 को पूर्व के किसी समय में सरहद मौजा डेगाना में अन्य अभियुक्तगण के मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूबान राजुड़ी व कैलाश को जबरन गाड़ी में डालकर गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण कारित किया ?
2. यदि हां तो प्रकरण में उचित सजा क्या होगी ?

11. अब न्यायालय को देखना है कि क्या पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष विचारणीय बिंदु को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

12. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में परिवादी मनोहर ने एक परिवादी इस आशय का पेश किया था कि दिनांक 15.05.2022 रविवार को वह उसके घर पर था। रामकरण व उसके रिश्तेदारों ने कहा कि डेगाना कोर्ट में इग्यारसी व उसके पति कैलाश को व उसकी सास राजुडी को भेज दो, वहां लिखापढी करवा लेंगे, जिस पर परिवादी ने परिवादी की पत्नी राजुडी, परिवादी के पुत्र कैलाश के साथ परिवादी की पुत्रवधु इग्यारसी को डेगाना कोर्ट भेजा तथा डेगाना कोर्ट में इग्यारसी को उसके पिता रामकरण को सुपुर्द किया। लिखापढी का कहने पर रामकरण व उसके साथ वालों ने कहा कि हमारे पास तीन गाड़ियां हैं, आप गाड़ी में बैठो, जिस पर परिवादी की पत्नी राजुडी, परिवादी का पुत्र कैलाश उनकी गाड़ी में बैठ गये, जिन्हें डेगाना से आगे सांजू व सांजू से आगे कालवास व फिर आगे खाटू की कांकड में एक खेत में कुआं था, वहां ले गये। वहां ले जाकर रामकरण, उसके साथ सुरेश, कैलाश, रतनाराम, किशनाराम जावला, रिछपाल, छोटू, निवासी नुन्द इन सभी ने कैलाश व राजुडी के लाठी, बंदूक के कुन्दे व थापों, मुक्कों, लातों से संगीन मारपीट की। कैलाश के सिर में 100 जूते इन सभी मुलजिमान ने मारे व सभी मुलजिमान ने मिलकर कैलाश के गले में जूतों की माला पहना दी, जिसका वीडियो भी इन्होंने बनाकर वाटसऐप किया। वक्त घटना परिवादी के जंवाई कानाराम व मेरी पुत्री विमला ने बड़ी मुश्किल से हाथा–जोड़ी करके मुलजिमान को समझाईश कर उनके पैरों में पड़कर राजुडी व कैलाश को छुड़ाया। फिर मुलजिमान अपने साथ लाये गाड़ियों में बैठकर वहां से भाग गये।

13. इस संबंध में महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी मनोहर पीडब्ल्यू 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि, *''हमारे व रामकरण वगैरा के बीच में कहासुनी हो गई थी, तो हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब हमारे राजीनामा हो गया है। कोई अपहरण नहीं हुआ था।''* अभियोजन अधिकारी द्वारा परिवादी को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह की गई, जिसमें परिवादी ने कथन

किए हैं कि, *''मैंने मुकदमा दर्ज कराने लिए एसपी नागौर के सामने रिपोर्ट पेश की थी, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर एक्स स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी है। मेरे पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 में ए से बी हिस्सा मैंने नहीं लिखवाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर एक्स स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी है। यह सही है कि मेरा मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि कैलाश को मुलजिम अपनी गाड़ी में डालकर कालवी से सांजु ले जाने की बात मैंने पुलिस को बताई हो। यह कहना गलत है कि राजीनामे के कारण झूठे बयान दे रहा हूं।''* इसी प्रकार वकील मुलजिम द्वारा की गई जिरह में परिवादी ने कथन किए हैं कि, *''यह सही है कि किसी का कोई अपहरण नहीं हुआ था।''*

14. इस प्रकार परिवादी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 में ए से बी हिस्सा उसने नहीं लिखवाया। उसका मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है। इसे गलत बताया है कि कैलाश को मुलजिम अपनी गाड़ी में डालकर कालवी से सांजू ले जाने की बात उसने पुलिस को बताई हो। आगे जिरह में कथन किया है कि किसी का कोई अपहरण नहीं हुआ था। इस प्रकार परिवादी ने विचारणीय अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं दी है।

15. प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं आहत कैलाश पीडब्ल्यू 2 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि, *''हमारे व रामकरण वगैरा के बीच में कहासुनी हो गई थी, तो मेरे पिता ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब हमारे राजीनामा हो गया है। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था।''* अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह की गई, जिसमें उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि, *''मेरे पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 में ए से बी हिस्सा मैंने नहीं*

लिखवाया। मेरा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर वाय स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी है। यह कहना गलत है कि मुझको मुलजिम अपनी गाड़ी में डालकर कालवी से सांजु ले जाने की बात मैंने पुलिस को बताई हो। यह कहना गलत है कि राजीनामे के कारण झूठे बयान दे रहा हूं।'' इसी प्रकार वकील मुलजिम द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि, *''यह सही है कि किसी का कोई अपहरण नहीं हुआ था।''*

16. इसी प्रकार प्रकरण में अन्य सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं आहता राजुड़ी पीडब्ल्यू 3 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि, *''हमारे व रामकरण वगैरा के बीच में कहासुनी हो गई थी, तो मेरे पति ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब हमारे राजीनामा हो गया है। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था।''* अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह की गई, जिसमें उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि, *''मेरे पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 में ए से बी हिस्सा मैंने नहीं लिखवाया। मेरा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 है। यह कहना गलत है कि मुझको मुलजिम अपनी गाड़ी में डालकर कालवी से सांजु ले जाने की बात मैंने पुलिस को बताई हो। यह कहना गलत है कि राजीनामे के कारण झूठे बयान दे रहा हूं।''* इसी प्रकार वकील मुलजिम द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि, *''यह सही है कि किसी का कोई अपहरण नहीं हुआ था।''*

17. प्रकरण में अन्य गवाह विमला पीडब्ल्यू 4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि, *''करीब 2–3 साल पहले की बात है। रामकरण के साथ ग्यारसी का लड़ाई–झगड़ा हो गया था। रामकरण मेरे ब्याईजी लगते हैं और कोई बात नहीं हुई थी।''* अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह की गई, जिसमें उक्त गवाह ने

कथन किए हैं कि, *''पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का हिस्सा पढ़कर सुनाया, गवाह ने सुन–समझकर कहा यह बयान मैंने नहीं दिए। यह सही है कि मेरे भाई कैलाश को रामकरण व मुकेश उठाकर ले गये। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने से मैं आज झूठे बयान देती हो।''*

18. प्रकरण में अन्य औपचारिक गवाह पीडब्ल्यू 5 श्रवण नक्शा मौका का गवाह हैं, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त फर्द पर अपनी अंगूठा निशानी होने का कथन किया है, परंतु जिरह में इसे स्वीकार किया है कि मैंने खाली कागज पर हस्ताक्षर किये थे, अंगूठा लगाया। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी नाथूराम पीडब्ल्यू 6 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं के द्वारा किए गए अनुसंधान की ताईद करते हुए अनुसंधान का विस्तृत विवेचन किया है और मुलजिमान के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 342, 365/34 आईपीसी में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश किए जाने का कथन किया है।

19. इस प्रकार परिवादी व आहतगण की उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादी व आहतगण ने सुदृढ़ रूप से अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए मुलजिमान को घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना के मुख्य चक्षुदर्शी गवाह कैलाश व राजुड़ी अभियुक्तगण के विरूद्ध कथन नहीं करते हैं। यह सुस्थापित विधि है कि सुदृढ़ साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में परिवादी व मुख्य गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। परिवादी, आहतगण व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा अंतर्गत धारा 341, 323, 342 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तस्दीक किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपहरण की अभियोजन कहानी सुदृढ़ रूप से साबित नहीं होती है। ऐसी विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्याय की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है।

20. अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर उक्त धाराओं में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

: : <u>आदेश</u> : :

21. अतः अभियुक्तगण 1. रामकरण पुत्र किशना राम, उम्र 46 वर्ष, निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज., 2. सुरेश पुत्र किशना राम, उम्र 35 वर्ष, निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज., 3. मैना उर्फ भंवरी देवी पत्नी रामकरण, उम्र 40 वर्ष, निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज. तथा 4. ग्यारसी उर्फ इग्यारसी पुत्री रामकरण पत्नी कैलाश, उम्र 28 वर्ष, निवासी सिड़ियास, पुलिस थाना पीलवा, हाल पीहर निवासी चुई, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर, राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 365 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 342 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता से पूर्व में ही जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(राजेश्वर विश्नोई)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र

22. निर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश्वर विश्नोई)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र